E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

विचाराधीन कैदी: अधिकार और कानून

शिवप्रताप सिंह

शोधार्थी (विधि)

महाराजा-छत्रसाल-बुंदेलखंड-विश्वविद्यालय-छतरपुर (एम.पी) छतरपुर (म.प्र.)

डॉ.रतन सिंह तोमर

(सहायक प्राध्यापक) (विधि) शोध मार्गदर्शक

पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज छतरपुर (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/10/2025

Paper date Publishing Date

10/10/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.17515050

IMPACT FACTOR

5.924

सार

भारतीय न्याय प्रणाली में "दोषी साबित होने तक निर्दोष" का सिद्धांत एक आधारशिला है। इसके बावजूद, देश की जेलों में बंद लाखों विचाराधीन कैदी इस सिद्धांत के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है। वे न्याय की प्रतीक्षा में, अक्सर उन अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा से भी अधिक समय, सलाखों के पीछे बिता देते हैं। यह शोध पत्र भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति, उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों, इस समस्या से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों, न्यायपालिका की भूमिका और हाल ही में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रावधानों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह पत्र उन चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक कारकों की भी पड़ताल करता है जो इस मानवीय संकट को और गहरा करते हैं, तथा अंत में इस समस्या के समाधान हेतु कुछ ठोस सुझाव प्रस्तुत करता है।

1. प्रस्तावना

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली एक विशाल और जटिल संरचना है, जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या है। विचाराधीन कैदी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा जाता है और उनका मुकदमा अदालत में लंबित होता है।[1] कानून की नजर में वे निर्दोष होते हैं, लेकिन व्यवहार में वे स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित होकर जेल की अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की जेलों में बंद कुल 5,73,220 कैदियों में से 4,34,302, यानी लगभग 76% विचाराधीन कैदी थे।[2] यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है, बल्कि यह जेलों में अत्यधिक भीड़, संसाधनों पर भारी दबाव और न्याय प्रणाली की धीमी गति को भी उजागर करती है।[3][4]

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

इस समस्या का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसका खामियाजा समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद वर्गों को भुगतना पड़ता है। एनसीआरबी के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि विचाराधीन कैदियों में एक बड़ा हिस्सा गरीबों, अशिक्षितों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का है।[1][3] अक्सर ये लोग अपनी गरीबी और कानूनी जानकारी के अभाव में जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते या एक वकील की सेवाएं लेने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है।[3] यह शोध पत्र इन्हीं गंभीर मुद्दों को संबोधित करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य विचाराधीन कैदियों से संबंधित कानूनी ढांचे, उनके अधिकारों, न्यायपालिका द्वारा किए गए हस्तक्षेपों और वर्तमान चुनौतियों का समग्र विश्लेषण करना है। साथ ही, यह नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में भविष्य की दिशा पर भी प्रकाश डालेगा।

2. ऐतिहासिक और कानूनी पृष्ठभूमि

भारत में विचाराधीन कैदियों की समस्या की जड़ें औपनिवेशिक काल तक जाती हैं, जब जेलों का मुख्य उद्देश्य दमन और नियंत्रण था, न कि सुधार। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसी न्याय प्रणाली की कल्पना की जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए निष्पक्ष और सुलभ हो।

संवैधानिक संरक्षण:

भारतीय संविधान विचाराधीन कैदियों सहित सभी व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो उनके संरक्षण की गारंटी देते हैं:

- **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार):** यह अनुच्छेद घोषित करता है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।" सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। त्वरित सुनवाई के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग माना गया है।[5]
- **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार):** यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता।
- **अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता):** यह राज्य का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कानूनी प्रणाली समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और यह सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।[6]

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:

CrPC आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करती थी और इसमें विचाराधीन कैदियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:

- **धारा 50 और 50A:** गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करने का अधिकार देती है।
- **धारा 436:** जमानती अपराधों में जमानत को एक अधिकार के रूप में स्थापित करती है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- **धारा 436A:** यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई विचाराधीन कैदी उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी कर चुका है, तो उसे व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि, यह प्रावधान उन अपराधों पर लागू नहीं होता था जिनमें मृत्युदंड की सजा हो।[7]

इन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद, विचाराधीन कैदियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण इन कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन और न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक देरी है।

3. विचाराधीन कैदियों के अधिकार

कानून और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने विचाराधीन कैदियों को कई अधिकार प्रदान किए हैं, जिनका उद्देश्य उनकी मानवीय गरिमा और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है:

- **निर्दोषिता की उपधारणा का अधिकार:** यह आपराधिक न्याय का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि प्रत्येक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे कानून की अदालत में उचित सुनवाई के बाद दोषी साबित नहीं कर दिया जाता।[5]
- **त्वरित सुनवाई का अधिकार:** हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। वर्षों तक सुनवाई का इंतजार करना इस अधिकार का घोर उल्लंघन है।[5]
- **जमानत का अधिकार:** न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने राजस्थान राज्य बनाम बालचंद मामले में "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है" का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।[5] जमानत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी सुनवाई के दौरान उपलब्ध रहे, न कि उसे दंडित करना।
- **निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार:** जैसा कि अनुच्छेद 39A में वर्णित है, यह राज्य का दायित्व है कि वह गरीब और कमजोर विचाराधीन कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे ताकि वे अपना बचाव प्रभावी ढंग से कर सकें।[8] इस उद्देश्य के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है।[9]
- **यातना और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार:** सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैदियों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और वे केवल कानून द्वारा अनुमत सीमाओं के अधीन हैं। उन्हें क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार है।
- **स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार:** सरकार और जेल अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे कैदियों को उचित स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। जेलों में अस्वास्थ्यकर स्थितियां और अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।[3]
- **परिवार और वकील से मिलने का अधिकार:** विचाराधीन कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों और अपने वकीलों से नियमित रूप से मिलने का अधिकार है। यह न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके बचाव की तैयारी के लिए भी आवश्यक है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- **मताधिकार का मुद्दा:** एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत, जेल में बंद व्यक्ति (निवारक हिरासत में रखे गए लोगों को छोड़कर) चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, भले ही वे केवल विचाराधीन हों।[2][10] यह प्रावधान "दोषी साबित होने तक निर्दोष" के सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है और इस पर गंभीर बहस जारी है।[2]

4. न्यायपालिका की भूमिका और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, ने विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के संरक्षण में एक अत्यंत सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न जनहित याचिकाओं और मामलों में दिए गए निर्णयों ने इन अधिकारों को न केवल परिभाषित किया है, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए सरकार और अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):** यह मामला भारत में विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालने वाला पहला ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में, यह पता चला कि बिहार की जेलों में हजारों विचाराधीन कैदी वर्षों से बंद थे, जिनमें से कई तो उन अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा से भी अधिक समय काट चुके थे। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग घोषित किया और बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया।[5]
- **सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978):** इस मामले में न्यायालय ने जेलों के अंदर कैदियों के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की। न्यायालय ने कहा कि कारावास किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर देता है और कैदियों के साथ भी मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने जेल सुधारों और कैदियों को यातना से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1978):** इस मामले में, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने जमानत के कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत की शर्तें अत्यधिक और दंडात्मक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने का आधार नहीं बन सकती।
- **न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति (2018):** जेलों में भीड़भाड़ और विचाराधीन कैदियों की समस्याओं के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने जेल सुधारों पर व्यापक सिफारिशें कीं, जिनमें तीव्र गति से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना, प्रत्येक 30 कैदियों के लिए एक वकील सुनिश्चित करना, और जमानत बांड की शर्तों को नरम करना शामिल है।[11][12]
- **हाल के न्यायिक हस्तक्षेप:** हाल के वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंडर-ट्रायल रिव्यू कमेटियों (UTRCs) की नियमित बैठकें करने और CrPC की धारा 436A (अब BNSS की धारा 479) के तहत पात्र कैदियों की पहचान कर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।[1]

5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023: एक नया अध्याय?

आपराधिक न्याय कानूनों में सुधार के एक बड़े प्रयास के तहत, भारत सरकार ने तीन नए कानून लागू किए हैं, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 शामिल है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह ली है। BNSS का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना और इसे अधिक नागरिक-केंद्रित बनाना है। विचाराधीन कैदियों के दृष्टिकोण से, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान **धारा 479** है।

धारा 479 का विश्लेषण:

यह धारा CrPC की धारा 436A का एक विस्तारित और अधिक उदार संस्करण है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

- **पहली बार अपराध करने वालों के लिए राहत:** यदि कोई व्यक्ति पहली बार किसी अपराध का आरोपी है (जिसकी सजा मृत्युदंड नहीं है) और उसने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की **एक-तिहाई (1/3)** अवधि हिरासत में पूरी कर ली है, तो उसे मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा।[13]
- **अन्य मामलों में:** अन्य मामलों में (जहां आरोपी पहली बार अपराधी नहीं है), यदि उसने अधिकतम सजा की **आधी (1/2)** अवधि हिरासत में पूरी कर ली है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा।[13]
- **अधिकतम हिरासत पर रोक:** यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी स्थिति में किसी भी विचाराधीन कैदी को उस अपराध के लिए कानून के तहत निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।[6]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि BNSS की धारा 479 के प्रावधान उन सभी विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होंगे जिनके मामले 1 जुलाई, 2024 (जब यह कानून लागू हुआ) से पहले दर्ज किए गए थे।[1] न्यायालय ने सभी राज्यों और जेल अधिकारियों को इस धारा के तहत पात्र कैदियों की पहचान करने और उनकी रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है।[13]

चुनौतियाँ और अवसर:

BNSS की धारा 479 निश्चित रूप से विचाराधीन कैदियों की समस्या को कम करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह हजारों कैदियों के लिए आशा की एक किरण है जो केवल इसलिए जेलों में बंद हैं क्योंकि उनकी सुनवाई में देरी हो रही है। हालांकि, इसकी सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।[14] मुख्य चुनौतियाँ पुलिस, अभियोजन और निचली अदालतों के स्तर पर इसके बारे में जागरूकता फैलाना और यह सुनिश्चित करना है कि अंडर-ट्रायल रिव्यू कमेटियाँ सक्रिय रूप से और नियमित रूप से पात्र कैदियों की पहचान करें। यदि इसे सही भावना से लागू किया जाता है, तो यह प्रावधान भारतीय जेलों में भीड़ कम करने और न्याय प्रणाली पर बोझ हल्का करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

6. विचाराधीन कैदियों की वास्तविकता: चुनौतियाँ और समस्याएँ

कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, विचाराधीन कैदियों की जमीनी हकीकत अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। वे कई गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

- **जेलों में अत्यधिक भीड़:** जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विचाराधीन कैदियों की भारी संख्या जेलों में अमानवीय भीड़ का मुख्य कारण है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारतीय जेलों में अधिभोग दर 130% से अधिक है।[15] इस भीड़भाड़ के कारण स्वच्छता, स्वास्थ्य और रहने की बुनियादी सुविधाओं का स्तर गिर जाता है, जिससे बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ जाता है।[3][16]
- **न्यायिक प्रक्रिया में देरी:** भारतीय न्यायपालिका मामलों के भारी बोझ तले दबी हुई है। न्यायाधीशों की कमी, बार-बार स्थगन, और जटिल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं मुकदमों के निपटारे में वर्षों की देरी का कारण बनती हैं। इस देरी का सीधा खामियाजा विचाराधीन कैदियों को भुगतना पड़ता है, जो न्याय की प्रतीक्षा में अपना जीवन जेल में बिताते हैं।[13]

- **गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक हाशियाकरण:** एनसीआरबी के आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विचाराधीन कैदियों का एक बड़ा हिस्सा समाज के सबसे वंचित तबकों से आता है।[3][17] ये लोग अक्सर अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं और उनके पास जमानत बांड भरने या वकील करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं।[3] यह एक दुष्चक्र बनाता है जहां गरीबी ही कारावास का कारण बन जाती है।
- **अपर्याप्त कानूनी सहायता:** हालांकि निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और पहुंच अक्सर अपर्याप्त होती है। कानूनी सहायता के लिए नियुक्त वकील अक्सर अनुभवहीन होते हैं या उन पर काम का बहुत अधिक बोझ होता है, जिसके कारण वे प्रत्येक मामले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं।[5] कई कैदियों को यह भी पता नहीं होता कि वे मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं।[6]
- **परिवार और समाज पर प्रभाव:** जब परिवार का कोई सदस्य, विशेष रूप से कमाने वाला सदस्य, लंबे समय तक जेल में रहता है, तो उसका पूरा परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बिखर जाता है। परिवार को गरीबी और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, और बच्चों की शिक्षा और भविष्य खतरे में पड़ जाता है।[3]
- **महिला और कमजोर विचाराधीन कैदी:** महिला विचाराधीन कैदियों को और भी विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जेलों में उनके लिए अक्सर अलग और पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। गर्भवती महिलाओं और अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में रहने वाली माताओं की स्थिति और भी दयनीय होती है।[6][13]

7. निष्कर्ष और सुझाव

विचाराधीन कैदियों की समस्या भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह केवल आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और मानवाधिकारों से जुड़ा एक मानवीय संकट है। कानून की नजर में निर्दोष होने के बावजूद, ये व्यक्ति हमारी व्यवस्था की खामियों - धीमी न्याय प्रक्रिया, कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक असमानता - की कीमत चुका रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निरंतर हस्तक्षेप और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में धारा 479 जैसे प्रगतिशील प्रावधानों ने एक नई उम्मीद जगाई है, लेकिन असली चुनौती इन सुधारों को जमीन पर उतारने की है।

इस बहुआयामी समस्या से निपटने के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। निम्नलिखित सुझाव इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं:

1. **न्यायिक प्रक्रिया में तेजी:** न्यायाधीशों के रिक्त पदों को तत्काल भरना, अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, और फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करना आवश्यक है ताकि मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।[13]
2. **BNSS की धारा 479 का प्रभावी कार्यान्वयन:** केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस, जेल अधिकारियों और निचली अदालतों को इस नए प्रावधान के बारे में पूरी जानकारी हो। अंडर-ट्रायल रिव्यू कमेटियों (UTRCs) की नियमित बैठकें अनिवार्य की जानी चाहिए और उनकी रिपोर्टिंग की निगरानी की जानी चाहिए।
3. **पुलिस सुधार:** गिरफ्तारी की शक्तियों का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी केवल गंभीर मामलों में ही अंतिम उपाय के रूप में होनी चाहिए। पुलिस को जांच प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रशिक्षित और संसाधन युक्त किया जाना चाहिए।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

4. **कानूनी सहायता प्रणाली को मजबूत करना:** निःशुल्क कानूनी सहायता प्रणाली का बजट बढ़ाने की जरूरत है ताकि योग्य और अनुभवी वकीलों को पैनल में शामिल किया जा सके। जेलों में कानूनी सहायता क्लीनिकों को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना होगा ताकि हर जरूरतमंद कैदी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।[8]
5. **जमानत प्रावधानों का उदारीकरण:** अदालतों को जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय "जेल नहीं, जमानत" के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जमानत की शर्तें आरोपी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए ताकि गरीबी जमानत में बाधा न बने।
6. **गैर-हिरासत विकल्पों का उपयोग:** छोटे-मोटे अपराधों के लिए, अदालतों को सामुदायिक सेवा, परिवीक्षा (probation) और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसे गैर-हिरासत विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** ई-कोर्ट, मामलों की वर्चुअल सुनवाई, और कैदियों के डेटा का डिजिटलीकरण (जैसे ई-प्रिजन पोर्टल) प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और तेजी लाने में मदद कर सकता है।[7]
8. **जागरूकता अभियान:** विचाराधीन कैदियों को उनके अधिकारों, विशेष रूप से जमानत और निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए जेलों में नियमित रूप से अभियान चलाए जाने चाहिए।

अंततः, विचाराधीन कैदियों की समस्या का समाधान केवल सरकार या न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए नागरिक समाज, कानूनी पेशेवरों और मीडिया को भी एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। जब तक हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं करते जहां न्याय समय पर और सभी के लिए सुलभ हो, तब तक "दोषी साबित होने तक निर्दोष" का महान सिद्धांत केवल कानूनी किताबों तक ही सीमित रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Drishti IAS. (2022, December 13). *विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति*.[3][18]
2. Drishti IAS. (2024, May 22). *भारत में विचाराधीन कैदी मताधिकार से वंचित*.[2][10]
3. Drishti Judiciary. (2023, September 28). *भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति*.[1]
4. Law Commission of India. *78th Report on Congestion of under-trial prisoners in jails*.[1][19]
5. Live Law Hindi. (2024, February 16). *भारत में Under-Trial Prisoners की दुर्दशा और प्रासंगिक कानून*.[5]
6. Live Law Hindi. (2025, March 28). *भारत में विचाराधीन महिला कैदियों की कठिनाइयों का पर्दाफाश*.[6]
7. Navbharat Times. (2014, September 5). *'आधी सजा' भुगत चुके विचाराधीन कैदी रिहा होंगे: सुप्रीम कोर्ट*.[10]
8. NDTV.in. (2024, October 23). *जेल रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला*.[20]
9. NEXT IAS. (2024, November 21). *भारत के विचाराधीन कैदी (India's Undertrial Prisoners)*.[13]

10. Press Information Bureau (PIB). (2024, February 6). *विचाराधीन कैदी*.[7]

11. PRS Legislative Research. (2023). *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023*.[16][21]

12. Vision IAS. (2024, November 30). *निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid)*.[8]

13. DW. (2023, April 5). *रिपोर्ट: भारत की जेलों में 77 प्रतिशत विचाराधीन कैदी*.[15]

14. न्यूज़क्लिक. (2024, January 10). *जेल में अंडरट्रायल अधिकांश युवा उत्पीड़ित समुदायों से हैं*.[17]

15. Plutus IAS. (2024, November 30). *भीड़ और बिलंब : विचाराधीन बंदियों की कारागार यात्रा*.[12]

16. Drishti IAS. (2020, March 21). *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग: भूमिका व प्रभावकारिता*.[18]

17. Drishti IAS. (2019, September 14). *भारत में जेल सुधार और इससे संबंधित चुनौतियाँ*.[9]

18. Drishti IAS. (2024, November 21). *भारतीय कारागार व्यवस्था में परिवर्तन*.[11]

19. NEXT IAS. *राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)*.[4]

20. Sanskriti IAS. *विचाराधीन कैदी का निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार*.[22]

21. Press Information Bureau (PIB). (2024, August 6). *नये आपराधिक कानून-पुलिस की जवाबदेही*.[23]

22. Live Law Hindi. (2025, June 2). *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 491*.[24]

23. Live Law Hindi. (2025, June 10). *गलत स्थान पर हुई कार्यवाही का प्रभाव : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 508 से 510*.[25]

24. DW. (2022, March 12). *भारत की जेलों में इतनी भीड़ क्यों है?*.[26]

25. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग. *वार्षिक रिपोर्ट*.[27]

26. विकिपीडिया. *राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत)*.